कार्यालयः सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)।

आदेश : उ0वि0शि0प0/यू0टी0ई0टी0/ 85 /2021–22 दिनांक 02 जुलाई 2021।

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET I & II)
प्रमाणपत्र की वैधता अवधि संबंधी सूचना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् **(NCTE)** के पत्र संख्या : NCTE-Reg 1011/78/ 2020-US(Regulation)-HQ/99954-99992, Dated 09.06.2021 के क्रम में शासनादेश संख्या : **889/XXIV-A-1/2021-2021-15/2011 Vol-1** शिक्षा अनुभाग–01 (बेसिक) देहरादून दिनांक 28 जून 2021 के द्वारा **उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET I & II) को संपादित कराये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या : 163/XXIV(1)/ 2016-15/2011 शिक्षा अनुभाग–I (बेसिक) देहरादून दिनांक 04 मार्च, 2016 के प्रस्तर–4 के बिन्दु संख्या (6) को संशोधित करते हुये उक्त प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 07 वर्ष से बढा कर आजीवन कर दी गयी है।** शासनादेश के बिन्दु 3 के अनुसार यह वैधता अवधि पूर्वगामी प्रभाव दिनांक 11.02.2011 से लागू मानी जायेगी।

उक्त शासनादेश के क्रम में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) द्वारा वर्ष 2011 से वर्ष 2020 तक आयोजित उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET I & II) हेतु निर्गत प्रमाणपत्रों के पृष्ठ भाग में अंकित महत्वपूर्ण सूचना के बिन्दु 06 (वर्ष 2011 में बिन्दु 04) को स्तम्भ : दो के अनुसार निम्न सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जायेगा–

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम (UTET-I) हेतु

स्तम्भ : एक	स्तम्भ : दो
प्रमाणपत्र के पृष्ठ भाग में अंकित महत्वपूर्ण सूचना के बिन्दु 06 (वर्ष 2011 में बिन्दु 04) में उल्लिखित प्रस्तर	**संशोधित बिन्दु/प्रस्तर**
उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी एक या एक से अधिक बार बैठ सकता है इसके अतिरिक्त उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने अंक सुधारने हेतु आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकता है। उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 07 वर्ष तक होगी। यदि कोई अभ्यर्थी प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 07 वर्ष के भीतर सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पदों पर सेवायोजित होने में असफल रहता है, तो उसे अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र पुनः प्राप्त करना अनिवार्य होगा।	उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी एक या एक से अधिक बार बैठ सकता है इसके अतिरिक्त उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने अंक सुधारने हेतु आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकता है। ***उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन होगी।***

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा द्वितीय (UTET-II) हेतु

स्तम्भ : एक	स्तम्भ : दो
प्रमाणपत्र के पृष्ठ भाग में अंकित महत्वपूर्ण सूचना के बिन्दु 06 में उल्लिखित प्रस्तर	**संशोधित बिन्दु/प्रस्तर**
उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी एक या एक से अधिक बार बैठ सकता है इसके अतिरिक्त उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने अंक सुधारने हेतु आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकता है। उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 07 वर्ष तक होगी। यदि कोई अभ्यर्थी प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 07 वर्ष के भीतर सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर सेवायोजित होने में असफल रहता है, तो उसे अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र पुनः प्राप्त करना अनिवार्य होगा।	उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी एक या एक से अधिक बार बैठ सकता है इसके अतिरिक्त उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने अंक सुधारने हेतु आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकता है। ***उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन होगी।***

भवदीय

(डॉ0 नीरज तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर नैनीताल।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)